

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 385]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 29 अगस्त 2020 — भाद्रपद 7, शक 1942

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-8/2005/नौ/55-4. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्यपाल, एतद्वारा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, —

1. अनुसूची- चार के शीर्षक “ संचालनालय” के अंतर्गत सरल क्रमांक 1 के कॉलम (5) में अंक, शब्द एवं चिन्ह “2. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग” के स्थान पर अंक, शब्द एवं चिन्ह “2. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग” प्रतिस्थापित किया जाये।
2. अनुसूची- चार के कॉलम (5) में, जहां कहीं भी अंक, शब्द एवं चिन्ह “ 2. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग” आया हो के स्थान पर अंक, शब्द एवं चिन्ह “2. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंका शुक्ला, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 21-8/2005/नौ/55-4. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 21-8/2005/नौ/55-4 दिनांक 29-08-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंका शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 29th August 2020

NOTIFICATION

No. F 21-8/2005/Naw/55-4. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the schedule of said rules,-

1. In Column (5) of serial number 1 under Heading "DIRECTORATE" of Schedule-IV, for the figure, words and symbol "2. Principal Secretary/ Secretary Government of Chhattisgarh Health and Family Welfare Department" the figure, words and symbol "2. Secretary in-charge, Government of Chhattisgarh, Medical Education Department" shall be substituted .
2. In Column (5) of Schedule-IV, for the figure, words and symbol "2. Incharge Secretary Government of Chhattisgarh Health and Family Welfare Department" wherever they occur, the figure, words and symbol "2. Secretary in-charge, Government of Chhattisgarh, Medical Education Department" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
PRIYANKA SHUKLA, Joint Secretary.